पीईसी लिमिटेड
नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर)

<u>मिशन</u>

निम्नलिखित के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ढंग से व्यापार करना जिससे गुणवत्ता, विश्वसनीयता, नैतिक मूल्यों की छवि का सृजन हो सके तथा ग्राहकों और अन्य व्यवसाय भागीदारों के साथ स्थायी दीर्घावधि संबंध कायम किए जा सकें:

- इंजीनियरिंग परियोजनाओं तथा उपस्कर का निर्यात विशेषकर लघु तथा मध्यम उद्यमों से।
- थोक वस्तुओं यथा वस्तुओं, कच्चे माल और बहुमूल्य धातुओं इत्यादि का निर्यात और आयात तथा नए उत्पादों एवं नए बाजारों का विकास।

लोक नीति और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभावी साधन के रुप में कार्य करना।

विज़न

अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू व्यापार में संलग्न एक उच्च बाजार केंद्रित कम्पनी बनना; एक संगठन जो 'लीन' और सुनम्य, बदलते माहौल के अनुरूप ढलने में सक्षम तथा पणधारकों को मूल्य प्रदान करने के अपने दायित्व के प्रति सदैव सचेत रहता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ग्राहकों को सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध कराने हेतु सक्षम कम्पनी।

<u>निगमित शासन हेतु प्रतिबद्धता</u>

सर्वश्रेष्ठ निगमित शासन पद्धतियों का विकास तथा अंगीकार करना और निगमित शासन के दिशानिर्देशों का पालन करना।

कंपनी के प्रभारी व्यक्तियों की उत्तरदायिता सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता और उचित प्रकटीकरण पर आधारित निगमित पद्धतियां अपनाना ताकि ग्राहकों, लेनदारों, कर्मचारियों तथा सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित किया जा सके।

<u>प्रमुख निगमित उद्देश्य</u>

- लाभ उन्मुखी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन बनना।
- पणधारकों को बाजार प्रत्याशाओं के समानुपाती पर्याप्त लाभ उपलब्ध कराना।
- वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में नए अवसरों की खोज करना।
- इंजीनियरिंग परियोजनाओं तथा उपस्कर निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना विशेषकर लघु तथा मध्यम उद्यमों से।

- वस्तुओं यथा कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चे माल, रसायन और बहुमूल्य धातुओं में व्यापार करना।
- एक विश्वसनीय, दीर्घावधि और व्यावसायिक सक्षम संगठन के रुप में निगमित छवि के संवर्द्धन हेतु सतत प्रयासरत रहना।
- उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना।

जन शिकायतें

जनता से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु पीईसी में एक लोक शिकायत समाधान तन्त्र सुस्थापित एवं कार्यरत है। कोई भी पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत, लिखित रुप में, पीईसी के नैगम कार्यालय में नियुक्त लोक शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। विकल्पतः, शिकायत सतर्कता प्रकोष्ठ तथा स्वागत कक्ष में रखी तालाबंद शिकायत पेटी में डाली जा सकती है। श्री आर. के. तनेजा, मुख्य महाप्रबंधक को लोक शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। सभी शिकायतों की उचित प्राप्ति स्वीकृति एक विशिष्ट शिकायत क्रमांक देकर की जाती है। शिकायत का निवारण उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर करने हेतु ईमानदारी भरा प्रयास किया जाता है ।

स्टाफ शिकायतें

चूंकि पीईसी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन आवृत्त है, कर्मचारी शिकायतें साधारणतः कर्मचारी यूनियन के माध्यम से हल की जाती है। श्री पी. के. जैन, मुख्य महाप्रबंधक को समस्त कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

सूचना का अधिकार

पीईसी, सूचना का अधिकार के प्रावधानों का अनुपालन उसके शब्दों और भावों के अनुसार कर रही है। सामान्य लोक हित की समस्त महत्वपूर्ण सूचना इसकी वेबसाइट **www.peclimited.com** पर दी गई है। पीईसी के निगमित कार्यालय तथा इसके सभी भााखा कार्यालयों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों तथा लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु सीपीआईओ/ पीआईओ से सम्पर्क कर सकता है। पीआईओ'ज के नाम और सम्पर्क विवरण, आवेदन का प्रारुप, अपेक्षित शुल्क राशि, भुगतान की विधि पीईसी की वेबसाइट **www.peclimited.com** पर उपलब्ध है।

उत्पाद और सेवाएं

पीईसी लिमि. द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं की पूर्ण जानकारी, पीईसी के मुख्य पदाधिकारियों के नाम और सम्पर्क विवरण, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों सहित संगठन चार्ट इत्यादि पीईसी लिमि. की अधिकारिक वेबसाइट **www.peclimited.com** पर उपलब्ध है।